

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 317

दायरा तिथि : 28.05.2025

आदेश तिथि : 16-06-2025

प्रार्थी :-

मानसिंह पुत्र रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी करणी कॉलोनी, सालासर चौराया,
नागौर जिला नागौर

ब ना म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 16-06-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 373 रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 372 रकबा 0.0900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

- प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्रोत है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
- यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	372	0.90 हैक्टर	गै.मु. मगरी	37X9=333 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 300000/- रुपये प्रति हैक्टर है।

6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक क्लर्क एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंखा की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 373 रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 373 रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 372 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 333 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 300000/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
372	0.90 हैक्टर	37X9=333 वर्गमीटर	30	9990X2=19980	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 19980/- (अक्षरों में) सौ अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




(दिनेय विजोई)
सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 16/08/25

क्रमांक/कोर्ट/2025/679-683
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मानसिंह पुत्र रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी करणी कॉलोनी, सालोसर चौराया, नागौर जिला नागौर को सूचनाार्थ।

सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 370 क्षेत्रफल : 0.2700 Hectare खाता संख्या : 144 पुराना खाता संख्या : 140

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [0.2700, 1.08]

- 1.) मानसिंह पुत्र रणवीर सिंह जी हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत मकान संख्या- 0, कॉलोनी- करणी कॉलोनी, क्षेत्र/स्थान- सालासर चौराया, शहर- नागौर, पिन कोड- 341303, ज़िला - NAGOUR, राज्य- RAJASTHAN खातेदार
- 2.) मोहम्मद फारुख खान पुत्र हबीब खानजी हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान मकान संख्या- 0, कॉलोनी- झारोड हजीबा कम्युनिटी, क्षेत्र/स्थान- झारोड हजीबा कम्युनिटी, शहर- नागौर, पिन कोड- 341506, ज़िला - NAGOUR, राज्य- RAJASTHAN खातेदार
- 3.) हर्षवीरसिंह शेखावत पुत्र देवेन्द्र सिंह जी शेखावत हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत मकान संख्या- 0, कॉलोनी- सज्जन बाग वाम देव रोड, क्षेत्र/स्थान- नाला पुष्कर, शहर- पुष्कर, पिन कोड- 305022, ज़िला - AJMER, राज्य- RAJASTHAN खातेदार

[Handwritten Signature]
I.P. Beedy

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

[Handwritten Signature]
Exp Court

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली